सराहनीय कार्य दिनांक 25.06.2021

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्राटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 25-06-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 973 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 367 वाहनों का चालान कर ₹ 4,05,500/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

सराहनीय कार्य दिनांक 25.06.2021

#CO शोहरतगढ़ द्वारा थाना चिल्हिया क्षेत्रान्तर्गत ऐतिहासिक पल्टा देवी मंदिर में लगने वाले 01 माह के मेले में सुरक्षा-व्यवस्था का जायजा लिया गया। कोरोनावायरस के दृष्टिगत रखते हुए मंदिर कमेटी के सदस्यों से श्रद्धालुओं को मास्क लगाने एवं 2 गज की दूरी बनाकर के माता के दर्शन करवाने की अपील की गई।

प्रेस नोट दिनांक-25/06/2021

दिनांक 26-06-2021 को जनपद सिद्धार्थनगर के कलेक्ट्रेट में होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन हेतु श्री रामअभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर कुशल निर्देशन में सुदृढ़ पुलिस प्रबंध किए गए हैं। नामांकन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक -01, क्षेत्राधिकारी- 5 ,थाना प्रभारी -16 ,उप निरीक्षक- 54, मुख्य आरक्षी /आरक्षी -258 ,महिला आरक्षी -48 व एक प्लाटून पीएसी एक फायर टेंडर व 3 टियर गैस स्क्वाड लगाए गए हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग की जा रही है। कलेक्ट्रेट के मुख्य प्रवेश द्वार से केवल प्रत्याशी एवं उनके प्रस्तावक अनुमोदक व दो अन्य व्यक्ति जा सकेंगे। प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों की डीएफएमडी व एचएचएमडी से चेकिंग की जाएगी। कोरोना कर्फ्यू का लागू होने के कारण बिना कोरोना प्रोटोकॉल में अनुमन्य कारणों से किसी भी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इटवा ,बांसी ,जोगिया व साड़ी तिराहा पर प्रभावी बैरियर लगाए जा रहे हैं जहां से वाहनों का अनावश्यक आवागमन रोका जाएगा। बिना पर्याप्त कारण के आवागमन करने वालों पर एमबी एक्ट व महामारी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। कोरोना कर्फ्यू व धारा 144 लागू होने के कारण किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति के एकत्र होने तथा अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध है। आज कलेक्ट्रेट परिसर में श्री सीताराम गुप्ता, अपर जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर व श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर संयुक्त रूप से भ्रमण करते हुए सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उक्त अवसर पर श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर व श्री कृष्णदेव सिंह, प्रभारी निरीक्षक सिद्धार्थनगर तथा पर्याप्त पुलिस बल उपस्थित रहे ।

प्रेस नोट- दिनांक 25/06/2021
थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर
“शराब तस्कर गिरफ्तार”

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी,पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में एवं श्री सुरेश चंद रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री रमेश चंद्र पांण्डेय, पुलिस उपाधीक्षक, इटवा के कुशल निर्देशन में व थानाध्यक्ष मिश्रौलिया श्री पंकज कुमार पाण्डेय कुशल नेतृत्व में हे0का शमशेर खाँन ,का0 विशाल पासवान द्वारा अवैध शराब बिक्री एवं निष्कर्षण की रोकथाम हेतु मु0अ0सं0- 76/21धारा 60 (1)आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की।

अभियुक्त का नाम पता विवरण-

1- रामनयन पुत्र वृजमोहन साकिन बहोरवाघाट थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी –

10 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

हे0का0 शमशेर खाँन
का0 विशाल पासवान

प्रेस नोट दिनाँकः- 25.06.2021 थाना मिश्रौलिया
थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर से 01 नफर अभियुक्त को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री रमेश चंद्र पांडेय क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष मिश्रौलिया श्री पंकज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में आज दिनांक 25.06.2021 को धारा 4/25 आर्म एक्ट के तहत अन्तर्गत 01 अभियुक्त को मु0अ0सं0 77/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट
के तहत गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. नदीम पुत्र अब्दुल कलाम साकिन उसका बाजार थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर

बरामदगी का विवरण- अभियुक्त के कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू बरामद हुआ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

01. उपनिरीक्षक श्री हरीराम भारती
02. कांस्टेबल विपिन कुमार